

डिकी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
-:: वादी ::-
बनाम

1. बादरराम पुत्र मांगूराम जाति
गुर्जर निवासी राबडियावास
तहसील जैतारण जिला ब्यावर
राजस्थान।

-:: प्रतिवादीगण ::-

1. अमराराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति
गुर्जर निवासी राबडियावास तहसील
जैतारण जिला ब्यावर
2. पटवारी महोदय, पटवार हल्का
राबडियावास तहसील जैतारण
3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी महोदय, जैतारण जिला
ब्यावर राज0।

मु0न0 :रा0वा0स0: 22/2020

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-.....व
हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुब्दई व श्री सुरेश चौधरी,
अधिवक्ता, मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत
धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा
ग्राम राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील
जैतारण जिला ब्यावर राज. मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 39 बीघा 10
बिस्वा वादी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज
किया जाता है।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29.08.2024 को जारी किया गया।
मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रुपये	पैसे	मुब्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	10.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	3.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	3.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	21.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।